दिनांक 01.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यभार ग्रहण के उपरान्त तय की गयी 10 प्राथमिकताओं में पुलिस कल्याण भी एक है। उपरोक्त प्राथमिकताओं के तहत पुलिस मुख्यालय के समस्त इकाईयों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु समय–समय पर कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में आज दिनॉकः 01.07.2025 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ के अनुभाग कल्याण द्वारा प्रोफेसर गौरव पाण्डेय, गैस्ट्रो मेडसिन विभाग, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय ''गोंडरानी वीरांगना दुर्गावती लाउन्ज'' गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में तीन दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन में किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारम्भ किया गया।

स्वास्थ्य शिविर के प्रारम्भ में गैस्ट्रो मेडसिन विभाग, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ के **प्रोफेसर गौरव पाण्डेय** द्वारा अपने प्रजेन्टेशन में लिवर सम्बन्धी विमारियों यथा फैटी लिवर, लिवर हाईब्रोसिस, लिवर सोराइसिस आदि के बचाव एवं लिवर को स्वस्थ्य रखने हेतु विस्तार से जानकारी दी गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू के इस पहल की सराहना की गयी तथा प्रोफेसर गौरव पाण्डेय का धन्यवाद देते हुये कहा गया कि यह बहुत Informative सेशन था, जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभप्रद है। कार्यक्रम में दिखाये गये लगभग 30 मिनट के इस वीडियों को प्रदेश के समस्त थानों एवं पीएसी वाहिनियों में भेजकर चलाया जाय तथा यह सुनिश्चित कराया जाय कि उक्त वीडियों को प्रत्येक कर्मचारी देखे तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जनपद प्रभारी द्वारा स्थानीय चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर इस प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर समय–समय पर आयोजित किये जाये।

आज दिनॉकः 01.07.2025 को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पुलिस मुख्यालय के लगभग 100 अधिकारियों/कर्मचारियों ने लीवर सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष जॉच, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण, पुलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के स्टाफ अफसर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

RAJEEV KRISHNA

दिनांक 01.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफः जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरुख लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 01–07–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना–पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरुख को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

शाहरुख पुत्र मुख़्तार निवासी–ग्राम गड़वारीपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

चारबाग़ रेलवे स्टेशन के पास, जनपद लखनऊ, दिनांक 01–07–2025 समय करीब 08:00 बजे प्रातः।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनो से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ टीम द्वारा वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहरुख़ की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शाहरुख़ जनपद लखनऊ के चारबाग़ रेलवे स्टेशन के पास अपने साथी से मिलने आने वाला है, जो कहीं जाने की

फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सुशील सिंह, मुख्य आरक्षी राम निवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की टीम द्वारा चारबाग़ रेलवे स्टेशन से अभियुक्त शाहरुख़ उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख़ उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 17–06–2025 को थाना क्षेत्र पट्टी में इखलाक व अन्य के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट आदि की घटना किया था, जिसके सम्बन्ध में श्री अल्ताफ अहमद द्वारा थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3) ,190, 115(2) ,61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था, जिसके विरूद्ध पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसकी जानकारी होने वह इधर–उधर लुक छिपकर रहने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं बाहर भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख़ उपरोक्त को थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2),191(3),190,115(2),61(2),109(1),351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	207/2018	392/411 भादवि	अन्तू	प्रतापगढ़
2	122/2018	307/506 भादवि	अन्तू	प्रतापगढ़
3	161/2025	115(2),3(5),324(4),351(2) बीएनएस	को0 नगर	प्रतापगढ़
4	179/2025	191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट	पट्टी	प्रतापगढ़

एसटीएफः शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग से सम्बन्धित एवं जनपद बांदा के थाना बबेरू के गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50–50 हजार के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी रिंकू राठी तथा बिल्लू उर्फ बीर सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 01–07–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग से सम्बन्धित एवं थाना बबेरू, जनपद बाँदा के मु0अ0स0 237/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50–50 हजार के 02 अभियुक्त रिंकू राठी तथा बिल्लू उर्फ बीर सिंह को जनपद बाँदा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– रिंकू राठी पुत्र स्व0 श्री गजेन्द्र सिंह निवासी सैदपुर, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद।

2– बिल्लू उर्फ बीर सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कांशी सैदपुर, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनाक 01–07–2025 समय 01.20 बजे, ग्राम कोर्रम मोड पुलिया के पास, थाना बबेरू जनपद बाँदा क्षेत्र।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण मे उप–निरीक्षक श्री अवध नारायण चैधरी एवं उप–निरीक्षक दीपक कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 01–07–2025 को एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम वांछित एंव पुरस्कार घोषित अपराधियों की पतारसी–सुरागरसी हेतु जनपद बाँदा क्षेत्र में भ्रमणषील थी तो

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बाँदा के थाना बबेरू के मु0अ0सं0 237/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का ईनामी अपराधी रिंकू राठी अपने साथी बिल्लू उर्फ बीर सिंह के साथ ग्राम कोर्रम मोड पुलिया के पास थाना बबेरू क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए मुखबिर के साथ लेकर मुखगिर की निषादेही पर अभियुक्त रिंकू राठी एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू राठी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र करीब 45 साल है और वह कक्षा 08 पास है। बताया कि उसने वर्ष 1998 में जनपद मेरठ की ट्रान्सपोर्ट एजेंसी पर लगभग 08 वर्ष ट्रक चलाया था तथा वर्ष 2010 मे हरिद्वार के इन्डस्ट्रीयल एरिया मे राठी कार्गो ट्रान्सपोर्ट मूवर्स के नाम से ट्रान्सपोर्ट खोला तथा इसका साथी अमित निवासी मेरठ भी इसके ट्रान्सपोर्ट पर ड्राईवर का काम करता था, जिसके अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करो से सम्बन्ध थे। वर्ष 2018 में दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त रिंकू राठी को अमित के साथ अवैध नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना क्राइम ब्रांच, दिल्ली में मु0अ0सं0 165/18 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त रिंकू राठी करीब 04 माह तक जेल मे रहा था। जेल से छुटने के बाद अभियुक्त रिंकू राठी ने कस्बा मोदीनगर जनपद गाजियाबाद मे राठी ट्रान्सपोर्ट के नाम से ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी खोल ली तथा हरियाणा के शराब तस्करों के साथ मिलकर हरियाणा व चण्डीगढ मे बनी अवैध शराब को गुजरात, बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश मे भारी मुनाफे के साथ तस्करी करने लगा था। अभियुक्त रिंकू राठी वर्ष 2021 मे अवैध शराब की तस्करी करते समय थाना सदर, जनपद चित्तोडगढ़, राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था तथा करीब 15 दिन तक जेल मे रहा। इस सम्बन्ध में थाना चित्तौड़गढ़, सदर राजस्थान में मु0अ0सं0 82/21 धारा 69/4 राजस्थान आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त रिंकू राठी को वर्ष 2022 मे अवैध ‘राब की तस्करी के आरोप में बिहार पुलिस द्वारा पकडा गया था। इस सम्बन्ध में थाना दुर्गावती भभुआ, बिहार पर

मु0अ0सं0 118/22 धारा 30ए बिहार प्रोविजन एण्ड एक्साइज एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त रिंकू राठी को वर्ष 2023 मे अवैध शराब की तस्करी के सम्बन्ध में थाना चिरगांव, जनपद झांसी पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना चिरगाव, जनपद झांसी पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त रिंकू राठी को अवैध शराब की तस्करी करते समय थाना बासा, जनपद आनन्द, गुजरात पुलिस द्वारा भी पकडा गया था, इस सम्बन्ध में थाना बासा, जनपद आनन्द, गुजरात पर मु0अ0सं0 11215038230520/23 धारा 65ए, 65ई, 81, 83, 108, 116बी, 465, 467, 471,120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त बिल्लू उर्फ बीर सिंह ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र करीब 48 साल है और वह कक्षा पॉच पास है। बताया कि परिवार की स्थिति अच्छी न होने के कारण उसने कम उम्र में ही ट्रान्सपोर्ट पर ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसकी दोस्ती उसके गॉव के रहने वाले रिंकू राठी से हो गयी थी, क्योकि रिंकू राठी भी ट्रक चलाने का काम करता था। बताया कि जब वह अपने गॉव में जाता था तो अपने साथियों के साथ शराब पीकर गॉव के लोगों के साथ झगड़ा कर मारपीट करता था और इसी कारण से वह वर्ष 2012 में थाना भोजपुर गाजियाबाद से जेल गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रिंकू राठी एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह, उपरोक्त थाना बबेरू, जनपद बांदा के मु0अ0स0 237/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहें थे, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा के स्तर से दिनांक 27–06–2025 को 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

<u>अभियुक्त रिन्कू राठी क विरूद्व निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–</u>

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद/राज्य
1	165/18	21/29 एनडीपीएस एक्ट	क्राइम ब्रांच दिल्ली	दिल्ली
2	504/20	323, 506 भादवि	भोजपुर	गाजियाबाद
3	82/21	69/4 राजस्थान आबकारी अधि0	चित्तौड़गढ़ सदर	राजस्थान

4	118/22	30ए बिहार प्रोविजन एण्ड एक्साइज एक्ट	दुर्गावती भभुआ	बिहार
5	210/23	60/63/72 आबकारी अधि0 व 420, 468, 471 भादवि	चिरगॉव, झॉसी	झांसी
6	355/23	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट	बबेरू,	बॉदा
7	11215038230 520/23	65ए, 65ई, 81, 83, 108, 116बी, 465, 467, 471,120बी भादवि	बसा जनपद आनन्द	गुजरात
8	237/25	2/3 गैगस्टर एक्ट	बबेरू	बॉदा

अभियुक्त बिल्लू उर्फ बीर सिंह के विरूद्व निम्न अभियोगो का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद/राज्य
1	380/12	147/323/324/504/506 भादवि	भोजपुर	गाजियाबाद
2	407/13	110जी सीआरपीसी	भोजपुर	गाजियपाबाद
3	355/23	8/80/29 एनडीपीएस एक्ट	बबेरू	बॉदा
4	237/25	2/3 गैंगस्टर एक्ट	बबेरू	बॉदा

गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू राठी एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह, उपरोक्त को थाना बबेरू, जनपद बांदा के मु0अ0सं0 237/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफः दिनांक 30.06.2025 को एएनटीएफ थाना द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रुपये) बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट आगरा के नेतृत्व में

ए.एन.टी.एफ. थाना झाँसी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के 04 सक्रिय तस्कर 1–राजेन्द्र कुमार पुत्र विनोद कुमार भोई निवासी ग्रा0 वन्धवा पारा अरविन्द नगर थाना सरकंडा जनपद विलासपुर छत्तीसगढ़ 2–अमर ठाकुर पुत्र जगदेव ठाकुर निवासी ग्रा0 भेडीमुडा थाना रतनपुर जनपद विलासपुर छत्तीसगढ़ 03–शिवम कश्यप उर्फ शुभम पुत्र सोनू कश्यप निवासी ग्रा0 भेडीमुडा थाना रतनपुर जनपद विलासपुर छत्तीसगढ़ 04–सोनू मौर्य पुत्र शंकर मौर्य निवासी फुलवा मऊ थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उ0प्र0 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रुपये) बरामद किया गया । थाना मंझनपुर , जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 172/2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों से एक–एक कर व संयुक्त रुप से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग छत्तीसगढ़ से अबैध गांजा लाकर अधिक मूल्य में बेचकर मुनाफा कमाते है ।

नाम गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक–30.06.2025 समय– 09:10 बजे, स्थान– ग्राम देवखरपुर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी ।

बरामदगी का विवरण–

1–101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रुपये) बरामद किया गया

2– 1 अदद स्विफ्ट डिजायर कार ।

3– 1 अदद हुन्डई कार ।

4– 4 अदद मोबाइल फोन ।

5– 2750 रूपया नगद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– प्र0उ0नि0 श्री चन्दन पाण्डेय ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

2– उ0नि0 विनोद कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

3– मु0आ0 नरेद्र शर्मा ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

4– मु0 आ0 अनूप कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

5– आ0 गजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

6– आ0 विमल कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

7– आ0 प्रदीप कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी ।

8– सहयोगार्थ थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी पुलिस टीम।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2025 को थाना रॉबर्टसगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी घसिया बस्ती रौप थाना रॉबर्टसगंज सोनभद्र।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कटका

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.07.2025 को थाना कटका व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खानपुर हुसैनाबाद, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास से 04 अभियुक्तों 1–इरफान 2–अफरोज उर्फ फुरकान 3–सुरज 4–राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त राजाराम के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त अफरोज उर्फ फुरकान व सुरज के विरूद्ध चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कटका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान निवासी ग्राम कौड़ाही थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

2–अफरोज उर्फ फुरकान निवासी ग्राम कौड़ाही थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

3–सुरज निवासी ग्राम भगवानपुर मंझरिया थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर।

4–राजाराम निवासी ग्राम रूधौली माफी थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.06.2025 को थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नबीपुर के पास से 04 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–शिवम 3–राजीव 4–मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही ळें

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सौरभ निवासी गम्भीरपुर थाना टिकरा कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–शिवम निवासी नयी तहसील के पास थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर।

3–राजीव निवासी रतनपुर थाना पनकी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

4–मोनू कुमार निवासी मवई थाना कदौरा जनपद जालौन।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्णमुरारी को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रमोद कुमार 2–विजय कुमार को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––